Vol II Issue II Dec 2012I

ISSN No : 2249-894X

Monthly Multidisciplinary Research Journal

Review Of Research Journal

Chief Editors

Ashok Yakkaldevi
A R Burla College, India

Flávio de São Pedro Filho
Federal University of Rondonia, Brazil

Ecaterina Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest

Kamani Perera
Regional Centre For Strategic Studies, Sri Lanka

Welcome to Review Of Research

RNI MAHMUL/2011/38595 **ISSN No.2249-894X**

Review Of Research Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi & Marathi Language. All research papers submitted to the journal will be double - blind peer reviewed referred by members of the editorial Board readers will include investigator in universities, research institutes government and industry with research interest in the general subjects.

Advisory Board

Flávio de São Pedro Filho
Federal University of Rondonia, Brazil

Kamani Perera
Regional Centre For Strategic Studies, Sri Lanka

Ecaterina Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest

Fabricio Moraes de AlmeidaFederal
University of Rondonia, Brazil

Catalina Neculai
University of Coventry, UK

Anna Maria Constantinovici
AL. I. Cuza University, Romania

Romona Mihaila
Spiru Haret University, Romania

Horia Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest, Romania

Delia Serbescu
Spiru Haret University, Bucharest, Romania

Xiaohua Yang
University of San Francisco, San Francisco

Karina Xavier
Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA

May Hongmei Gao
Kennesaw State University, USA

Marc Fetscherin
Rollins College, USA

Liu Chen
Beijing Foreign Studies University, China

Mabel Miao
Center for China and Globalization, China

Ruth Wolf
University Walla, Israel

Jie Hao
University of Sydney, Australia

Pei-Shan Kao Andrea
University of Essex, United Kingdom

Osmar Siena
Brazil

Loredana Bosca
Spiru Haret University, Romania

Ilie Pintea
Spiru Haret University, Romania

Mahdi Moharrampour
Islamic Azad University buinzahra Branch, Qazvin, Iran

Titus Pop
PhD, Partium Christian University, Oradea,
Romania

J. K. VIJAYAKUMAR
King Abdullah University of Science & Technology,Saudi Arabia.

George - Calin SERITAN
Postdoctoral Researcher
Faculty of Philosophy and Socio-Political Sciences
Al. I. Cuza University, Iasi

REZA KAFIPOUR
Shiraz University of Medical Sciences
Shiraz, Iran

Rajendra Shendge
Director, B.C.U.D. Solapur University, Solapur

Nimita Khanna
Director, Isara Institute of Management, New Delhi

Salve R. N.
Department of Sociology, Shivaji University, Kolhapur

P. Malyadri
Government Degree College, Tandur, A.P.

S. D. Sindkhedkar
PSGVP Mandal's Arts, Science and Commerce College, Shahada [M.S.]

Anurag Misra
DBS College, Kanpur

C. D. Balaji
Panimalar Engineering College, Chennai

Bhavana vivek patole
PhD, Elphinstone college mumbai-32

Awadhesh Kumar Shirotriya
Secretary, Play India Play (Trust),Meerut (U.P.)

Govind P. Shinde
Bharati Vidyapeeth School of Distance Education Center, Navi Mumbai

Sonal Singh
Vikram University, Ujjain

Jayashree Patil-Dake
MBA Department of Badruka College Commerce and Arts Post Graduate Centre (BCCAPGC),Kachiguda, Hyderabad

Maj. Dr. S. Bakhtiar Choudhary
Director,Hyderabad AP India.

AR. SARAVANAKUMARALAGAPPA
UNIVERSITY, KARAIKUDI,TN

V.MAHALAKSHMI
Dean, Panimalar Engineering College

S.KANNAN
Ph.D , Annamalai University

Kanwar Dinesh Singh
Dept.English, Government Postgraduate College , solan

More.....

Address:-Ashok Yakkaldevi 258/34, Raviwar Peth, Solapur - 413 005 Maharashtra, India
Cell : 9595 359 435, Ph No: 02172372010 Email: ayisrj@yahoo.in Website: www.isrj.net

Review Of Research
Vol.2, Issue.3, Dec. 2012
ISSN:-2249-894X
Available online at www.reviewofresearch.net
ORIGINAL ARTICLE

भारत में महिला अपराध एवं उनके संरक्षण हेतु विविध प्रावधान

नीलिमा देशमुख , रमेश प्रसाद द्विवेदी

संचालक महिला अध्ययन व विकास केन्द्र व विभाग प्रमुख
लोक प्रशासन व स्थानीय स्वराज्य शासन विभाग राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महराज विश्वविद्यालय नागपुर,
अतिथि विद्वान महिला अध्ययन व विकास केन्द्र व परियोजना अध्येता
लोक प्रशासन व स्थानीय स्वराज्य शासन विभाग राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महराज विश्वविद्यालय नागपुर,

सारांश :

भारतीय संविधान, कानून व्यवस्था आदि में कहने के लिए तो महिलाओं को पुरूषों के बाराबर दर्जा प्राप्त है लेकिन वास्तविकात आज भी देखी जा रही है कि विवाह, तलाक, काम, संम्पत्ति में अधिकार, गुजारा भत्ता आदि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां बराबरी के नाम पर महिलाओं के साथ भद्दा मजाक न किया गया हो। महिलाओं के प्रति हिंसा विश्वव्यापी घटना बनी हुई हैं जिससे कोई भी समाज एवं समुदाय मुक्त नही हैं। महिलाओं के प्रति भेदभाव इसलिए विद्यमान हैं क्योंकि इसकी जडे सामाजिक प्रतिमानों एवं मूल्यों में जमी हुई हैं। वैसे तो महिला अपराध व हिंसा के कारणों को समाप्त किये बिना उसका पूर्ण निदान संभव नही है। यदि पाश्चात्य एवं विकसीत देशों पर दृष्टिपात करें तो ऐसा लगता हैं कि इसका कारण मानवीय संरचना व स्वभाव में अंर्तनिहित होने के कारण जड से इसका उन्मुलन सम्भव नही हैं। प्रत्येक स्थल व प्रत्येक प्रकार की महिला विरोधी हिंसा के लिए समाज और समाज और राज्य दोनों को ही अपना नैतिक एवं विधिक उत्तरदायित्व निभाना पडेगा। व्यवहारिक स्वरूप यही मांग करता हैं कि एक ऐसी सामाजिक पहल हों जिससे महिलाओं के प्रति पूरे समाज की सोच बदले। सैद्यांतिक रूप से महिलाओं के अधिकार में कहीं भी कमी नहीं है लेकिन व्यवहारिकता में कोसों दूर देखा जा रहा है।

प्रस्तावना :

अक्सर सुनने में आता है कि भारतीय समाज में नारी का स्थान पूज्यनीय रहा है। समाज एवं सभ्यता के विकास में महिलाओं का सर्वोपरि स्थान रहा हैं। कभी बेटी बनकर परिवार की शोभा बढ़ाती है तो कभी बहन बनकर भाईयों को दुलार करती है। वही मां बनकर संतान का ललन–पालन करती हैं। बड़ी होने पर भी उसका सम्मान कम नहीं होता और वह दादी–नानी बनकर गौरव जीवन जीती है। सर्व विदित हो कि भारत में ही नही विश्व में महिलाओं का समाज में यही स्तर रहा है। जहां भी नारी की सम्मान को चोट पहुंची है वहां पर विकास का विनाश हुआ है, हो रहा है औ होने की भी संभावना कही जा सकती है। इसीलिए कहा गया है कि ''यत्र नार्यस्तु पुज्यंते रमन्ते तत्र देवताः'' अर्थात जहां नारी की पूजा होती हैं वहां देवता निवास करते हैं। नारी एक वह पहलू हैं जिसके बिना किसी समाज की रचना संभव नही हैं। समाज में नारी एक उत्पादक की भूमिका निभाती हैं। नारी के बिना एक नये जीव की कल्पना भी नही कर सकते अर्थात नारी एक सर्जन हैं, रचनाकार हैं। यह कुल जनसंख्या का लगभग आधा भाग होती हैं फिर भी इस पित्रसत्तात्मक समाज में उसे हीन दृष्टि से देखा जाता हैं। पुत्र जन्म पर हर्ष तथा पुत्री जन्म पर संवेदना व्यक्त की जाती हैं। भारतीय समाज में आज भी पुत्रों को पुत्रियों से अधिक महत्व दिया जाता हैं। पहले संयुक्त परिवार ही होने के कारण परिवार के सभी पुरूष वर्ग खेतों में काम करने जाते थे और महिलाएं भी उन्हें थोड़ा बहुत हातभार लगाने खेत में जाती थी लेकिन महिलाओं की भूमिका यानी चूल्हा, बरतन, बच्चों की परवरिश इस सीमा तक ही सीमित थी। पहले महिलाओं को पढने की भी अनुमति नही मिलती थी। महिलाओ को नौकरी करना या अर्थार्जन करना ये बात भी किसी के मन में नही आती थी क्योंकि नौकरी या व्यवसाय करके अर्थार्जन करने का काम व अपने परिवार का पालन पोषण करने का कार्य केवल पुरूषों के हाथ में था। इस तरह महिलाओं को नौकरी करना, उनकी भूमिका को सुविधाजनक नही था। इसी वजह से ही उसे पढाना आवश्यक नहीं समझा जाता था। महिलाओं को नौकरी या फिर अर्थार्जन न करने की वजह यह भी हैं कि पहले के जमाने में घर के पुरूष वर्ग जो भी कमाई करते थे वह पैसा घर के चलाने के लिए काफी था। इस कारण महिलाओं ने अर्थार्जन करके पुरूषों को आर्थिक मदद करने की नौबत ही नहीं आई।

ज्ञात हो कि मूल भारतीय समाज में महिलाओं को सुख, शांति, समृद्धि व ज्ञान का प्रतीक माना गया है। जिसकी अभिव्यक्ति के रूप में लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, की पूजा की जाती रही है। स्त्री को पुरूष की अर्धांगिनी माना गया है, जिसके बिना कोई भी धार्मिक कर्तव्य पूरा नही हो सकता, परंतु वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल के बाद भारतीय समाज की मौलिक व्यवस्थाएं रूढ़ियों में बदलती लगी और परिणाम स्वरूप महिलाओं के विशेष गुण जैस– स्नेह, ममता, त्याग, सहनशीलता, आदि को दुर्बलता मान लिया गया है। इस आधार पर उनका शोषण होने लगा है। भारत में अंग्रेजो के शासन काल से भारत में हर क्षेत्र में बहुत ही तेजी से परिवर्तन आने लगा। महिला–पुरूषों में जो भेद दिखाई देते थे वे दूर होने लगे और दोनों के लिए समान अधिकार दिये गये। इस कारण महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक क्षेत्रों में समान अधिकार दिये गये। कुछ क्षेत्रों में जहां यह बदलाव सम्मानजनक एवं सकारात्मक हैं, वहां वही अधिकांश जगहों पर ये बदलाव महिलाओं के प्रतिकूल साबित हो रहे हैं वल्कि समाज व राज्य की विभिन्न गतिविधियों में पर्याप्त सहभागिता के बावजूद इनके साथ अभद्र व्यवहार, घरेलू हिंसा, कार्यस्थल, सडकों,

सार्वजनिक यातायात एवं अन्य स्थलों पर होने वाली हिंसा में वृद्धि हुई हैं, इसमें शारीरिक, मानसिक एवं यौन शोषण भी शामिल हैं। दैनिक समाचार पत्रों में दिन–ब–दिन की घटनाएं छपी होती है जो महिलाओं से संबंधित होती है जैसे– बलात्कार, दहेज के लिए बहू को जलाना, प्रताड़ित करना तथा बालिका का भ्रुणहत्या, अपहरण, अगवा करना आदि। महिलाओं के प्रति हिंसा विश्वव्यापी घटना बनी हुई हैं जिससे कोई भी समाज एवं समुदाय मुक्त नही हैं। महिलाओं के प्रति भेदभाव इसलिए विद्यमान हैं क्योंकि इसकी जडे सामाजिक प्रतिमानों एवं मूल्यों में जमी हुई हैं। वैसे तो महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के कारणों को समाप्त किये बिना उसका पूर्ण निदान संभव नही पर यदि पाश्चात्य एवं विकसीत देशों पर दृष्टिपात करे तो ऐसा लगता हैं कि इसका कारण मानविय संरचना व स्वभाव में अंतनिहित होने के कारण जड से इसका उन्मुलन सम्भव नही हैं। प्रत्येक स्थल व प्रत्येक प्रकार की महिला विरोधी हिंसा के लिए समाज और समाज और राज्य दोनों को ही अपना नैतिक एवं विधिक उत्तरदायित्व निभाना पडेगा। व्यवहारिक स्वरूप यही मांग करता हैं कि एक ऐसी सामाजिक पहल हों जिससे महिलाओं के प्रति पूरे समाज की सोच बदले। विश्व के कुछ देशों में लिंगानुपात के संदर्भ में उल्लेख इस प्रकार है।

क्र.सं.	देश	लिंग अनुपात (प्रति 1,000 पुरूष महिलाएं)	
		1998	2007 (अनुमानित) *
1.	चीन	944	943
2.	भारत	933	943
3.	यू.एस.ए.	1,029	1,031
4.	इंडोनेशिया	1,004	1,000
5.	ब्राजील	1,025	1,020
6.	पाकिस्तान	938	952
7.	रशियन फेड्	1,140	1,163
8.	बंगलादेश	953	952
9.	जापान	1,041	1,053
10.	नाईजीरिया	1,016	980
11.	श्रीलंका	-	1,042
	विश्व	986	990

भारतीय संस्कृति में महिलाओं को समाज में सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया हैं। भारत में महिलाओं की साक्षरता के प्रमाण में उतार चढ़ाव तो है लेकिल वृद्धि हुई है और महिलाएं साक्षर हुई है और आज भारत की कुल साक्षरता 82.1 एवं महिलाओं की साक्षरता 65.5 है।

भारत में पुरूष एवं महिला साक्षरता दर– 1951 से 2011

वर्ष	पुरूष	महिलाएं	व्यक्ति	अंतर
1951	27.2	8.9	18.3	18.3
1961	40.4	15.4	28.3	25.0
1971	46.0	22.0	34.4	24.0
1981	56.4	29.8	43.6	26.6
1991	64.1	39.3	52.2	24.8
2001	75.3	53.7	64.8	21.6
2011	82.1	65.5	74.0	16.7

स्रोतः योजना मार्च 2012

इस तालिका से ज्ञात होता है कि आजादी से आज तक साक्षरता के संदर्भ में काफी बढ़ोत्तरी देखी जा रही है लेकिन पुरूषों की तुलना में आज भी 16.7 प्रतिशत कम है, जो उनके पिछडेपन, शोषण तथा उत्पीडन का मुख्य कारण हैं। हालांकि केन्द्र एवं राज्य सरकारो ने इस संबंध में कई प्रयास किए हैं किंतु इसमें वे पूर्णरूपेण सफल नही हो पाए हैं। जाहिर हैं योजनाओं की सफलता के लिए उसके लाभार्थियों का सहयोग भी उतना ही अहमियत रखता हैं जितनी कि अन्य बाते। महिलाएं पुरूषों से किसी भी तरह से कमजोर नही हैं परंतु इसका एक दूसरा

पहलू भी हैं जैसे– महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, कानूनी, धार्मिक अदि।

महिला अपराध की संभावना :

1.जन्म से पूर्व : जबरदस्ती गर्भधारण, गर्भपात, गर्भावस्था के दौरान मारपीट, मानसिक उत्पीड़न, कन्या भ्रूण हत्या,
2.शैशावावस्था के दौरान : शिशु कन्या हत्या, माता–पिता द्वारा खन पान मे भेदभाव, मारपीट, व्यक्तित्व विकास की ओर ध्यान न देना,
3.किशोरावस्था के दौरान : शीघ्र विवाह, परिवार व अपिरिचितों द्वारा यौन शोषण, बाल वेश्यावृति, मूलभूत सुविधाओं का अभाव,
4.युवावस्था के दौरान : कार्यस्थलों पर शोषण, यौन उत्पीड़न, अवैध व्यापार, बालात्कार, अपहरण, छेड़छाड़,
5.नारित्व के दौरान : विवाह हेतु दहेज की मांग, विवाह के बाद दहेज के लिए मारपीट व हत्या एवं आत्महत्या हेतु मजबूर करना, मानसिक एवं शारीरिक शोषण, घरेलू हिंसा आदि।

भारत में महिला अपराध :

महिलाओं को सुरक्षा प्रदान कराने के लिए अनेक कानूनों की मौजूदगी के बाद भी महिलाओं के प्रति अपराधों में निरन्तर वृद्धि होती देखी जा रही है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की नवीनतम रिपोर्ट 2011 के अनुसार कुल 5262729 है। विस्तार से इस तालिका में माध्यम से आकलन किया जा सकेगा, भारत अपराध के मामले में किस स्तर पर है।

SL. No.	CRIME HEADS	CASES REPORTED	% TO TOTAL IPC CRIMES	RATE OF CRIME	CHARGE-SHEETING RATE	CONVI-CTION RATE
A) VIOLENT CRIMES						
1	MURDER	34305	1.5	2.8	85.7	38.5
2	ATTEMPT TO COMMIT MURDER	31385	1.3	2.6	90.6	30.0
3	C.H. NOT AMOUNTING MURDER	3707	0.2	0.3	87.0	39.1
4	RAPE	24206	1.0	2.0	93.8	26.4
5	KIDNAPPING & ABDUCTION	44664	1.9	3.7	70.5	27.3
6	DACOITY	4285	0.2	0.4	72.2	25.0
7	PREPARATION & ASSEMBLY FOR DACOITY	2895	0.1	0.2	94.1	20.4
8	ROBBERY	24700	1.1	2.0	69.2	29.5
9	RIOTS	68500	2.9	5.7	91.5	21.5
10	ARSON	9064	0.4	0.7	68.3	18.2
11	DOWRY DEATHS	8618	0.4	0.7	92.0	35.8
	TOTAL VIOLENT CRIMES	256329	11.0	21.2	84.5	28.0
B) CRIME AGAINST WOMEN (IPC+SLL)						
1	KIDNAPPING & ABDUCTION OF WOMEN & GIRLS	35565	1.5	2.9	73.0	28.1
2	MOLESTATION	42968	1.8	3.6	96.5	27.7
3	SEXUAL HARASSMENT	8570	0.4	0.7	96.4	45.8
4	CRUELTY BY HUSBAND AND RELATIVES	99135	4.3	8.2	94.4	20.2
5	IMPORTATION OF GIRLS	80	0.0	0.0	82.4	7.8
	TOTAL CRIME AGAINST WOMEN (IPC+SLL)	228650	9.8	18.9	92.0	26.9
C) ECONOMIC CRIMES						
1	CRIMINAL BREACH OF TRUST	17457	0.8	1.4	71.0	31.2
2	CHEATING	87656	3.8	7.2	69.2	27.5
3	COUNTERFEITING	2307	0.1	0.2	45.4	36.1
	TOTAL ECONOMIC CRIMES	107420	4.6	8.9	68.9	28.6
D) PROPERTY CRIMES						
1	BURGLARY	92504	4.0	7.6	43.1	33.0
2	THEFT	340800	14.7	28.2	36.6	35.0
	TOTAL PROPERTY CRIMES	433304	18.6	35.8	37.9	34.5
E) CRIME AGAINST SCs						
	TOTAL CRIME AGAINST SCs	33719	1.4	2.8	90.7	31.8
F) CRIME AGAINST STs						
	TOTAL CRIME AGAINST STs	5756	0.2	0.5	93.2	19.2
G) CRIME AGAINST CHILDREN						
	TOTAL CRIME AGAINST CHILDREN	33098	1.4	2.7	82.5	34.6
H) COGNIZABLE CRIMES UNDER IPC						
	TOTAL COGNIZABLE CRIMES UNDER IPC	2325575		192.2	78.8	41.1
I) COGNIZABLE CRIMES UNDER SLL						
	TOTAL COGNIZABLE CRIMES UNDER SLL	3927154		324.5	93.4	90.5
J) COGNIZABLE CRIMES UNDER IPC + SLL						
	TOTAL COGNIZABLE CRIMES UNDER IPC + SLL	6252729		516.7	88.2	77.8

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की विविध रिपोर्टों के आधार पर महिला अपराध के बारे में 2001 से 2008 तक हुऐ अपराधों में से कुछ विशेष अपराधों को श्रेणीवार विभाजन कर वर्णन किया गया है।

भारत में 2001 से 2008 तक हुए कुल महिला अपराध

अपराध	वर्ष								वर्ष
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2008 व 2007 के बीच अन्तर
बालात्कार– धारा 376 आयपीसी	16075	16773	15847	18233	18359	19348	20737	21467	3.5
व्यपहरण व अपहरण– धारा 363 से 373 आयपीसी	14645	14506	13296	15578	15750	17414	20416	22939	11.7
दहेज के कारण मृत्यु 302/304बी आयपीसी	6851	6822	6208	7026	6787	7618	8093	8172	1.0
उत्पीड़न/ अत्याचार– धारा 498ए, आयपीसी	49170	49237	50703	58121	58319	63128	75930	81344	7.1
छेड़छाड़– धारा 354 आयपीसी	34124	33943	32939	34568	34175	36617	38734	40413	4.3
यौन उत्पीड़न– धारा 509 आयपीसी	–	–	12325	10001	9984	9966	10950	12214	11.5
बालिका का आयात–निर्यात– धारा 366 बी आयपीसी	114	76	46	89	149	67	61	67	9.8
सती निवारक अधिनियम 1987	–	–	0	0	1	0	0	–	0.0
अनैतिक व्यापार निवारण– अधिनियम 1956	8796	6598	5510	5748	5908	4541	3568	2659	–25.9
नारी का अषिष्ट निरूपण अधिनियम– 1956	1052	2508	1043	1378	2917	1562	1200	1025	–14.6
दहेज प्रतिषेध अधिनियम– 1961	–	–	2684	3591	3204	4504	5623	5555	–1.2
	130827	130463	140601	154333	155553	164765	185312	195855	

स्रोतः 1. नई सहस्त्राब्दी का महिला सषक्तीकरण, 2. भारतीय राजनीति विज्ञान अर्धवार्षिक शोध पत्रिका, मेरठ, जुलाई–दिसम्बर 2009, 3. भारत सरकार गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो, भारत में अपराध, 2008, नई दिल्ली

वर्तमान में भारतीय महिलाएं समाज व राज्य की विभिन्न गतिविधियों में पर्याप्त सहभागिता कर रही हैं परंतु इससे उनके प्रति घरेलू हिंसा के अलावा कार्यस्थल पर सडको एवं सार्वजनिक यातायात के माध्यमों में व समाज के अन्य स्थलों पर होने वाली हिंसा में भी वृद्धि हुई हैं। इसमें शारीरिक, मानसिक व यौन सभी प्रकार की हिंसा शामिल हैं। प्रताडना, छेडछाड, अपहरण, बलत्कार, भ्रुण हत्या (यौन उत्पीडन, दहेज मृत्यु, दहेज निषेद व अन्य) यह अन्याय पूरे राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं पर इनमें उत्तर प्रदेश सबसे आगे हैं। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा ने भेदभाव को न करके सिद्धांत की अतिपुष्टि की थी और घोषित किया था कि सभी मानव स्वतंत्र पैदा हुए हैं और गरिमा एवं अधिकारों में समान हैं तथा सभी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के, जिसमें लिंग पर आधारित भेदभाव भी शमिल हैं। फिर भी महिलाओं के विरूद्ध अत्यधिक भेदभाव व उनके अधिकारों का हनन भी तो नही बल्कि बढ़ता ही जा रहा है। इस तालिका को देखने से ज्ञात होता है कि 2008 में राज्यों व संघशासित क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति अपराध की सघनता और दर का स्तर भारत में कैसा रहा है।

महिलाओं के प्रति अपराध की सघनता और दरें, 2008:

क्र.सं.	भारत/राज्य/संघशासित क्षेत्र	अनुमानित मध्यवार्षिक जनसंख्या (लाख में) @	सघनता (घटना)	अखिल भारतीय जोड़ की तुलना में अंशदान का कुल (प्रतिशत)	कुल संज्ञेय अपराधों की दर (दर)
	भारत	11531.26	195856	100.0	17.0
1.	आन्ध्र प्रदेश	824.61	24111	824.6	29.2
2.	अरुणाचल प्रदेश	12.04	175	0.1	14.5
3.	असम	300.79	8122	4.1	27.0
4.	बिहार	943.06	8662	4.4	9.2
5.	छत्तीसगढ़	237.74	3962	2.0	16.7
6.	दिल्ली	172.50	3938	2.0	22.8
7.	गोवा	16.44	130	0.1	7.9
8.	गुजरात	566.65	8616	4.4	15.2
9.	हरियाणा	238.90	5142	5.6	21.5
10.	हिमाचल प्रदेश	65.71	979	0.5	14.9
11.	जम्मू और कश्मीर	125.02	2295	1.2	18.4
12.	झारखण्ड	301.44	3183	1.6	10.6
13.	कर्नाटक	576.02	6890	3.5	12.0
14.	केरल	343.40	8117	4.1	23.6
15.	मध्य प्रदेश	696.83	14908	7.6	21.4
16.	महाराष्ट्र	1073.47	15862	8.1	14.8
17.	मणिपुर	26.37	211	0.1	8.0
18.	मेघालय	25.47	208	0.1	8.2
19.	मिजोरम	9.84	162	0.1	16.5
20.	नागालैण्ड	21.96	47	0.0	2.1
21.	उड़ीसा	400.33	8303	4.2	20.7
22.	पंजाब	266.89	2627	1.3	9.8
23.	राजस्थान	649.94	14491	7.4	22.3
24.	सिक्किम	5.96	48	0.0	8.1
25.	तमिलनाडु	665.76	7220	3.7	10.8
26.	त्रिपुरा	35.24	1416	0.7	40.2
27.	उत्तर प्रदेश	1920.49	23569	12.0	12.3
28.	उत्तराखण्ड	95.43	1151	0.6	12.1
29.	पश्चिम बंगाल	882.07	20912	10.7	23.7
	संघ शासित क्षेत्र				
30.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	4.15	80	0.0	19.3
31.	चण्डीगढ़	10.71	143	0.1	13.4
32.	दादर एवं नगर हवेली	2.65	28	0.0	10.6
33.	दमन एवं द्वीप	1.89	15	0.0	7.9
34.	लक्षद्वीप	0.69	4	0.0	5.8
35.	पांडिचेरी	10.80	129	0.1	11.9

2009 में महिलाओं के अधिकार के लिए कानूनी सूचना व सहायता केन्द्र थॉमसन रायटर्स ट्रस्ट लॉ वुमेन की ओर से कराये गये सर्वेक्षण के अनुसार विश्व में अफगानिस्तान महिलाओं के लिए सबसे खतनाक देशों में से है। इसके बाद दूसरा कांगो, 3 पाकिस्तान, 4 भारत एवं पांचवा सोमालिया का है। महिला व बाल विकास मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के आधार पर वर्ष 2009 से 3 सितबर 2012 तक राष्ट्रीय महिला आयोग में कुल 58359 शिकायतें दर्ज कराई गई है। इनमें ससे 44083 शिकायतें विविध स्तरों पर लंबित है।

भारत में महिला अपराध से संबंधित मामले

राष्ट्रीय महिला आयोग में महिलाओं से संबंधित मामले			महाराष्ट्र में महिलाओं महिलाओं से संबंधित मामले			
वर्ष	षिकायतें	लंबित	वर्ष	शिकायतें	निपटारा	प्रलंबित
2009	15566	14716	2007–08	–	–	–
2010	15700	14348	2008–09	1409	599	810
2011	15870	10928	2009–10	1455	990	465
सितम्बर 2012 तक	11223	4091	2010–11	1589	1275	314
कुल	**58359**	**44083**				

स्रोत : लोकमत समाचार, नागपुर संस्करण, 2 जुलाई 2011, एवं

लोकमत समाचार, नागपुर संस्करण, 10 सितम्बर 2012

उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर ज्ञात होता है कि महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए अनेक कानून तो बनाये गये और उन्हे कियान्वित भी किया जा रहा है लेकिन महिलाओं के प्रति अपराधों में कमी नहीं आ रही है। नागपुर जिले में 2006 से दिसम्बर 2011 तक महिलाओं के प्रति अपराधों पंजीकृत मामले एवं मामलों का फैसला भी इस आंकड़ा से देखा जा सकता है।

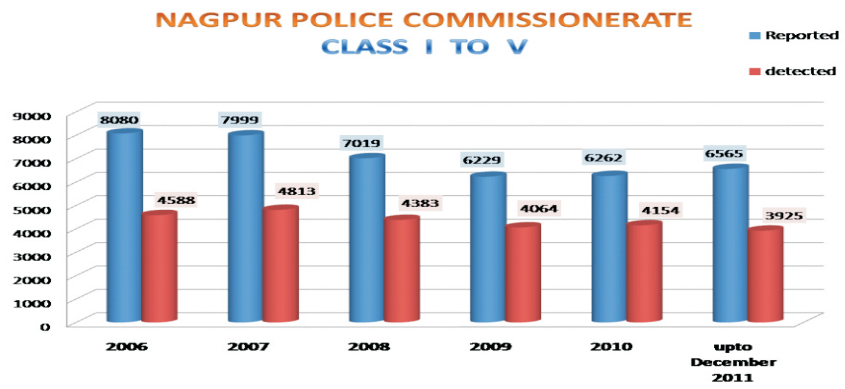

Source : http://nagpurpolice.info/crime_in_nagpur

उपरोक्त महिला अपराध के बारे में अध्ययन करने के बाद महिलाओं के विकास व संरक्षण के लिए केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा समय समय पर किये गये प्रावधानों व नीतियों का संक्षेप में के विवेचन करने का प्रयास किया गया है।

पंचवार्षिक योजना काल में महिलाओं की सुरक्षा हेतु प्रावधान :

पिछले 64 वर्षों से महिलाओं और बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सुनियोजित विकास किया जा रहा है। जिससे योजनागत परिव्यय में उतरोतर वृद्धि हुई है। जहाँ पहली पंचवर्षीय योजना में यहां परिव्यय ;1951.56द्ध में केवल चार करोड़ रुपये था जो नवीं पंचवर्षीय योजना में बढ़कर 7,810.42 करोड़ रुपये हो गया। दसवी पंचवर्षीय योजना में बढ़ा कर इसे 13ए780 करोड़ रुपये कर दिया गया। पहली पंचवर्षीय योजना में जो दृष्टिकोण ''कल्याण उन्मुख'' था उसी दृष्टिकोण ने आगामी पंचवर्षीय योजनाओं में अपना स्वरूप बदल कर ''विकास'' और सशक्तिकरण'' कर लिया।

1.पहली पंचवर्षीय योजना–1951–1956 : इस योजना के अन्तर्गत महिलाओं का मुद्दा कल्याणोन्मुखी था केन्द्रीय समाज समाज कल्याण बोर्ड ने महिलाओं के लिए स्वैच्छिक क्षेत्र के माध्यम से अनेक कल्याणकारी आय आरम्भ किए। महिलाओं के लिए बनाए गए कार्यक्रमों को सामुदायिक विकास खण्डों के माध्यम से राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रमों के जरिए कार्यान्वित किया गया।

2.दूसरी पंचवर्षीय योजना–1956–1961 : इस योजना के दौरान आधार भूत स्तरों पर महिला मण्डलों के गठन के लिए अनुकूल प्रयास किए

गए ताकि कल्याणकारी योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जा सके।

3.तीसरी, चौथी, पांचवी और अन्य अंतरिम योजनाएं–1961–1974 : इन योजनाओं के दौरान महिलाओं की शिक्षा को उच्च प्राथमिकता दी गई। मातृत्व और बाल स्वास्थ्य सेवा, बच्चों के लिए अनुपूरक पोषाहार तथा गर्भवती महिलाओं के लिए नर्सिंग संबंधी सेवाओं में सुधार के उपाय आरम्भ किए गए।

4.छठी पंचवर्षीय योजना–1980–1985 : इस पंचवर्षीय योजना की अवधि को महिलाओं के विकास में मील का पत्थर माना जा सकता है। इस योजना के दौरान स्वास्थ्य, शिक्षा और महिलाओं के नियोजन पर त्रिपक्षीय बल के साथ एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया गया।

5.सातवीं पंचवर्षीय योजना–1985–1990 : इस योजना के दौरान भी महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार करने और उन्हें विकास की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से महिलाओं के लिए विकास कार्यक्रम जारी रखे गए। इन विकास कार्यक्रमों में एक महत्वपूर्ण कदम ऐसे ''लाभग्राही–उन्मुख कार्यक्रमों'' की पहचान करना और उन्हें बढ़ावा देना है जिनके माध्यम से महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ दिया जा सके।

6.आठवीं पंचवर्षीय योजना–1992–1997 : इस योजना के दौरान यह प्रयास किया गया कि महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले विकास के लाभों से वंचित न रह जाए। इस दौरान विकास के सामान्य कार्यक्रमों की कमी को पूरा करने के लिए विशेष कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया गया। रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा के तीन महत्वपूर्ण प्रमुख क्षेत्रों में महिलाओं को उपलब्ध करवाए जाने वाले लाभों की सतर्कतापूर्ण निगरानी रखी गई। महिलाओं को और समर्थ बनाया गया ताकि वे स्थानीय निकायों में सदस्यता के आरक्षण के साथ साथ विकास की प्रक्रिया में बराबर के हिस्सेदार और सहभागी के रूप में कार्य कर सकें। आठवीं पंचवर्षीय योजना में महिलाओं के प्रति अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण में महिलाओं के विकास के स्थान पर उनके सशक्तिकरण पर अधिक बल देखा गया।

7.नौवीं पंचवर्षीय योजना–1997–2002 : इस में महिलाओं से संबंधित निम्नलिखित लाभ रखे गए–

ऽसामाजिक आर्थिक परिवर्तन तथा विकास के एजेंट के रूप में महिलाओं तथा सामाजिक रूप से पिछड़े समूहों जैसे अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का सशक्तिकरण, पंचायती राज संस्थानों, सहकारी समितियों और स्वं सहायता जैसे जन सहभागिता संस्थाओं को बढ़ावा देना और उनका विकास करना।

स्वावलंबन निर्माण के प्रयासों का सुदृढ़ बनाना।

विभिन्न क्षेत्रों में सेवाओं का अभिसरण

केन्द्रीय और राज्य स्तरों पर महिलाओं के लिए कंपानेट प्लान।

8.दसवीं पंचवर्षीय योजना–2003–2007 : इस योजना का खाका सूचना, संसाधनों तथा सेवाओं तक महिलाओं की अपेक्षित पहुँच और लिंग समानता में वृद्धि करने के लक्ष्य को सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया था।

9.ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना –2007–2012 : ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में जेंडर सशक्तिकरण तथा समानता के उपाय अपनाए जाने का प्रस्ताव है। महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय जेण्डर बजट तथा जेण्डर को मुख्यधारा में लाए जाने की प्रक्रिया को उत्साहपूर्वक लागू करेगा।

महिला अधिकारिकता और सुरक्षा हेतु प्रावधान :

भारतीय संविधान एवं विभिन्न दंड सहिताओं में भी कई ऐसे नियम, विनियम एवं अधिनियम आदि बनाएं गए है जिसकी सहायता से महिलाओं के हितों की रक्षा की जा सकती है। इसके अलावा अंग्रजों के शासनकाल में भी कुछ महिलाओं से संबंधित अधिनियम बनाये गए जिसकी बजह से महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार देखने को मिले है। जैसे– सती प्रथा उल्मूलन अधिनियम, विधवा पुर्नविवाह, सिविल मैरिज अधिनियम, बाल विवाह अवरोधक अधिनियम आदि। महिलाओं से संबंधित कुछ प्रमुख अधिनियम निम्नलिखित हैः–

1.भारतीय दंड सहिता, 1860 : इसमें महिलाओं पर होने वाले अत्याचार एवं निर्दयता के विरूद्ध सजा देने की व्यापक रूप से व्यवस्था की गई है।

2.दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 : 1961 में तात्कालिक प्रधानमंत्री पंण्डित जावाहरलाल नेहरू ने दहेज को एक समस्या एवं मानव मात्र पर एक कलंक एवं कुप्रथा मानते हुए इस कानून को पारित करवाया था। इसके माध्यम से दहेज जैसी गंभीर समस्या पर अंकुश लगाने की कोशिश की गई।

3.हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 : यह अधिनियम निर्देशित करता है कि आज एक लड़की को भी अपने माता–पिता की सम्पत्ति में लड़के की भांति अधिकार प्राप्त है। जितना कि पुत्र यानि कि जहां तक पिता की सम्पत्ति का सवाल है लड़का एवं लड़की दोनों ही बराबर के उत्तराधिकारी है। लेकिन जहां तक पैत्रिक सम्पत्ति रूप से प्राप्त सम्पत्ति पर सवाल है आज भी महिला की स्थिति पुरूष जैसी नहीं है।

4.मुसलमान उत्तराधिकार संबंधी विधि : इनमें कुरान सरीफ की आयातों के अनुसार सदा से चला आ रहा है एवं महिलाओं के संदर्भ में कानून थोड़ा कठोर है हलांकि इस कानून में स्वयं अर्जित एवं पैत्रिक सम्पत्ति में कोई भेदभाव नहीं है।

5.दण्ड प्रकिया 1973 : इस प्रकिया में किसी भी महिला की तलाशी या अन्य संबंधित जांच के लिए महिला या महिला पुलिस के माध्यम से करना अनिवार्य होगा।

6.हिन्दू विवाह अधिनियम 1956 : इस अधिनियम में पति–पत्नी के वैवाहिक जीवन जैस शादी, व्याह, तलाक एवं सजा आदि के बारे में विस्तार से विवेचन किया गया है।

7.मुस्लिम विवाह–विच्छेद अधिनियम, 1939: इस अधिनियम से पूर्व मुस्लिम महिलाओं की स्थिति अति दयनीय थी लेकिन इस अधिनियम के बनने के बाद पत्नी को भी तलाक देने के कुछ अधिकार प्रदान कराये गये।

8.हिन्दू अवयस्कता एवं संरक्षण अधिनियम, 1956 : पति–पत्नी के बीच विवाह विच्छेद की स्थिति में अथवा अन्य परिस्थिति के कारण अगर पति–पत्नी अलग रहते है जो नुकसान उन्हें ही भुगतना पड़ता है, इससे भी ज्यादा दयनीय स्थिति उन बच्चों की हो जाती है जिनके माता–पिता अलग रहते हो, क्योंकि दोनों के बीच झगड़ा इस बात का रहता है कि अवयस्क बच्चे किसके पास रहें।

9.भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1982 : साक्ष्य का आसाधारण अधिनियम यह है कि सबूत का भार उस व्यक्ति पर होगा जिसके द्वारा आक्षेप लगाया गया हो और ऐसी ही स्थिति में महिलाओं पर होने वाला अत्याचारों के मामलों में भी थी।

10.बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 : 21वीं शदी में भी भारत के कुछ ग्रामीण एवं कुछ शहरी इलाकों में छोटे–छोट बच्चों को मंडप में बिठाकर उनकी शादियां रचाई जा रही है, इस अधिनियम में शादी की आयु का निर्धारण एवं नियम का उलंघन करने पर सजा, जुर्माना आदि का प्रावधान किया गया है।

11.सती निवारक अधिनियम, 1987 व राजस्थान सती निवारक अधिनियम, 1987 : इस इधिनियम द्वारा सती प्रथा एवं उसकों महिमामण्डित करने से रोकने के लिए सख्त कदम उठाये गये।

12.अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, 1956, संशोधित 1978 व 1986 : इस अधिनियम के अनुसार महिलाओं के प्रति यौन–शोषण

करने को संज्ञेय अपराध माना गया है।

13.''सप्रेशन ऑफ इम्मोरल ट्रैफिक इन वूमेन एंड गर्ल एक्ट'' 1950 संशोधित 1978 व द इम्मोरल ट्रैफिक प्रीवेन्शन एक्ट 1986 : अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, 1956, से मिलता जुलता है।

14.गर्भावस्था समापन चिकित्सा अधिनियम, 1971 : प्रारंभ में हमारे देश में गर्भपात करना एवं करवाना दोनों ही भारतीय दंड सहिता–1860 के अनुच्छेद 312–316 के अनुसार अपराध थे। यह अधिनियम महिलाओं के स्वस्थ्य को देखते हुए बनाया गया है।

15.चलचित्र अधिनियम, 1952 : फिल्मों का समाज में गहरा असर पड़ता है इसलिए सेन्सर बोर्ड की जिम्मेदारी है कि वह ऐसी फिल्मों पर रोक लगाएगा जिससे महिलाओं को अश्लील रूप में दिखाया गया हो तथा महिलाओं की मर्यादा भंग हो।

16.स्त्री अशिष्ट प्रतिबंध अधिनियम, 1986 : इस अधिनियम के माध्यम से स्त्री के शरीर के अश्लील चित्रण पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसमें कहा गया है कि किसी भी महिला को इस प्रकार चित्रित नहीं किया जा सकता है जिससे उसकी सार्वजनिक नैतिकता को आघात पहुंचे या उसका मान घटे। इससे संबंधित छेड़खानी निरोधक कानून, 1978, सिनेमेटोग्राफी अधिनियम, 1952, इंसिडेन्ट रिप्रेजेन्टेशन ऑफ वूमेन प्रोहीबिशन एक्ट, 1986 आदि है।

17.विशेष विवाह अधिनियम, 1954 : इस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को वैवाहिक स्वतंत्रता के साथ–साथ धार्मिक स्वतंत्रता भी प्रदान किया गया है। इस अधिनियम के माध्यम से कोई भी महिला अपना धर्म परिवर्तन किये वगैर किसी अन्य धर्म को मानने वाले व्यक्ति से विवाह कर सकती है।

18.कारखाना अधिनियम, 1948, संशोधन–1976 : इस अधिनियम में कहा गया है कि यदि किसी कारखाने या उद्योग–धंधे में महिलाओं की संख्या 30 से अधिक होगी तो प्रबंधन को वहां एक शिशु–गृह की व्यवस्था करनी होगी। ताकि काम के घंटों के दौरान महिलाएं अपने बच्चों को शिशु गृह में छोड़ सकें।

19.आपराधिक कानून अधिनियम, 1961 : इस अधिनियम के तहत महिलाओं ऐसे अधिकार एवं विशेष रियायते दी गई है कि महिला अपने मातृत्व की जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सके। महिलाओं के शारीरिक, मानसिक, एंव भावनात्मक शोषण से बचाने और उनके हितों के लिए और भी कानून है जो इस प्रकार है– समान परिश्रमिक अधिनियम–1976, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, अभद्र निरूपण पिशेध अधिनियम–1986, ठेकेदरी श्रम नियम एवं उन्मूलन अधिनियम, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम–1990, कुटुंब न्यायालय अधिनियम–1985 आदि।

भारतीय संविधान में महिलाओं की सुरक्षा हेतु प्रावधान :

भारतीय संस्कृति एवं जीवन पद्धिति में मानव अधिकारों की प्रतिष्ठा प्राचीन काल से ही संस्थापित है। महाभारत कालीन साहित्य एंव कौटिल्य आदि के समय में महिलाओं पर प्रहार करना, निरापराधियों को सताना, राज्य प्रतिनिधियों को अपमानित करना, वर्जित माना गया था। समाज एवं परिवार में मानव अधिकरों का आदर करना भारतीय परम्पराओं और आस्था का स्भाविक अंग माना गया है। ब्रिटिश गुलामी के दिनों में भारत के कई क्षेत्रों में विशेषकर ग्रामीण इलाकों में सामन्तवादी प्रवृति का बोलबाला था मालिक वर्ग गरीब मजदूरों से कम परिश्रमिक में अधिक कार्य करवाते थे। कभी कभी तो पशुओं से खराब बदतर व्यवहार किया जाता था। किन्तु स्वतंत्रता के बाद कुछ बदलाव आया। भारतीय संविधान के प्रावधानों ने अमानवीय स्थितियों को समाप्त कर सुव्यवस्थिति एवं सामाजिक सुरक्षा कायम करने का प्रयास किया। संविधान में मानव अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जो इस प्रकार है :–

1.अनुच्छेद 14 : पुरूष और महिलाओं को आर्थिक, राजनैतिक एंव सामाजिक रूप से समान अधिकार प्राप्त हैं।
2.अनुच्छेद 15 : राज्य किसी नागरिक के विरूद्ध धर्म मूलवंश जाति लिगं जन्मस्थल के आधार पर कोई भेदभाव नही करेगा। प्रत्येक नागरिक का मूलभूत कर्त्तव है कि वह महिलाओं पर अत्यचार न होने दें।
3.अनुच्छेद 16 : पुरूषों एंव महिलाओं को बिना भेदभाव के सार्वजनिक नियुक्तियों तथा रोजगार के सम्बध में समान अवसर का अधिकार है।
4.अनुच्छेद 21 : यह प्राण, दैहिक स्वतंत्रता और संरक्षण के अधिकार की व्यवस्था करता है और साथ ही महिला पुरूष दोनों को समान संरक्षण प्रदान करता है।
5.अनुच्छेद–23 : नारी के देह व्यापार से उसकी रक्षा की जाये। इस दृष्टि से संप्रेशन ऑफ इम्मोरल ट्रैफिक इन विमेन एण्ड गर्ल्स एक्ट 1956 पारित किया गया।
6.अनुच्छेद 39 : पुरूष और स्त्री को समानरूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त कराने का अधिकार है। समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी नागरिक को न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न किया जाए, उपयुक्त कानून के माध्यम से निःशुल्क कानूनी सलाह से भी वंचित न किया जाए
7.अनुच्छेद 42 : प्रसूति सहायता का उपबन्ध करता है।
8.अनुच्छेद 44 : राज्य भारत के समस्त क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान दीवानी संहिता प्राप्त करने का प्रयास करता है।
9.अनुच्छेद 46 : सरकार विशेष जिम्मेदारी के साथ समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की रक्षा करेगी और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगी
10.अनुच्छेद 47 : सरकार अपने लोगों के जीवन स्तर और पोषाहार के स्तर को उन्नत करेगी और जन स्वास्थ्य में सुधार लाएगी।
11.अनुच्छेद–51 इसके अर्न्तगत उन सभी बातों का परित्याग करना जो नारी सम्मान के विरूद्ध है।
12.73 वां एवं 74वां संविधान संशोधन :

अनुच्छेद 243 अनुच्छेद 243 (घ) (3) : प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों की कम से कम एक तिहाई सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या सहित महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाएगी और ये सीटें नगर निगम के क्षेत्रों को बारी–बारी से आबंटित की जाएगी।
अनुच्छेद 243 (घ) (4) इस स्तर पर पंचायतों के सभापति के कुल पदों में से कम से कम एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे।
अनुच्छेद 243 (न) (3) प्रत्येक नगर निगम के चुनाव में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों की कम से कम एक तिहाई सीटें अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या सहितद्ध महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाएगी और ये सीटें नगर निगम के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को बारी–बारी से आबंटित की जाएगी।
अनुच्छेद 243 (न) (4) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों और महिलाओं के लिए नगर निगमों में सभापतियों के पदों का आरक्षण कानून के जरिए उसी प्रकार उपलब्ध कराया जाएगा जैसा राज्य का विधान मण्डल कानून द्वारा उपबंधित करे।
संविधान की धारा 243 डी में संशोधन के बाद पंचायतों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत के बजाय 50 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

13.अनुच्छेद 325 व 326: निर्वाचक नामावली में महिला पुरूष दोनों को समान रू॰स॰मत देने एवं चुने जाने का अधिकार देता है। भारत में महिला मानवाधिकारों को मूल अधिकारों से जोड़ा गया है और इस संदर्भ में विस्तार से विवेचन किया गया है।
14.73 वां एवं 74वां संविधान संशोधन के अनुच्छेद 243 में महिलाओं के लिए एक तिहाई स्थान आरक्षण का प्रावधान एवं संविधान की धारा 243 डी में संशोधन के बाद पंचायतों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत के बजाय 50 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

सर्वविदित है कि भारतीय संविधान में कहने के लिए तो महिलाओं को पुरूषों के बाराबर दर्जा प्राप्त है लेकिन वास्तविकात आज भी देखी जा रही है कि विवाह, तलाक, काम, संम्पत्ति में अधिकार, गुजारा भत्ता आदि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां बराबरी के नाम पर महिलाओं के साथ भद्दा मजाक न किया गया हो। महिलाओं के प्रति हिंसा विश्वव्यापी घटना बनी हुई हैं जिससे कोई भी समाज एवं समुदाय मुक्त नही हैं। महिलाओं के प्रति भेदभाव इसलिए विद्यमान हैं क्योंकि इसकी जडे सामाजिक प्रतिमानों एवं मूल्यों में जमी हुई हैं। वैसे तो महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के कारणों को समाप्त किये बिना उसका पूर्ण निदान संभव नही पर यदि पाश्चात्य एवं विकसीत देशों पर दृष्टिपात करें तो ऐसा लगता हैं कि इसका कारण मानविय संरचना व स्वभाव में अंर्तनिहित होने के कारण जड से इसका उन्मुलन सम्भव नही हैं। प्रत्येक स्थल व प्रत्येक प्रकार की महिला विरोधी हिंसा के लिए समाज और समाज और राज्य दोनों को ही अपना नैतिक एवं विधिक उत्तरदायित्व निभाना पडेगा। व्यवहारिक स्वरूप यही मांग करता हैं कि एक ऐसी सामाजिक पहल हों जिससे महिलाओं के प्रति पूरे समाज की सोच बदले। 21 वी सदी में महिला सशक्तीकरण की दशा व दिशा सुधारने और जन जागृति पैदा करने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया जाना चाहिए। भारत जैसे विकासशील देश में मानव अधिकार का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा हैं जिसके लिए दीर्घकालीन नीति तथा सरकार एवं गैर सरकारी संगठन से सहयोग की जरूरत हैं। समाचार पत्र समूह, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन आदि मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता लाने की दिशा में प्रभावी एवं सक्रिय भूमिका निर्वाह कर सकते हैं हम सभी को गांधी जी के इस विचार को याद रखने की आवश्यकता है कि–"स्वतंत्र भारत को ऐसा होना चाहिए कि कोई महिला कश्मीर से कन्याकुमारी तक अकेली घूम ले और उसके साथ कोई अशोभनीय घटना न हों" और साथ ही महिलाओं को अपने जीवन का आधा अंग मानकर स्वीकार करना चाहिए। सैद्यांतिक रूप से महिलाओं के अधिकार में कहीं भी कमी नहीं है लेकिन व्यवहारिकता में कोसों दूर देखा जा रहा है।

संदर्भ ग्रंथ :

1 महरोत्रा ममता– महिला अधिकार और मानव अधिकार ज्ञानगंगा प्रकाशन दिल्ली प्रथम संस्करण 2011
2 डॉ. वीरेन्द्र सिंह यादव : नई सहस्त्राब्दी का महिला सशक्तीकरण–अवधारणा, चिन्तन एवं सरोकार भाग 1 एवं 2, ओमेगा पब्लिकेशन, दिल्ली, 2010
3 प्रो. मधुसूदन त्रिपाठी : भारत में मानवाधिकार, ओमेगा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2008
4 डॉ. सुरेन्द्र कटारिया : भारतीय लोक प्रशासन– नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2005
5 भारत का योजना आयोग 2007 पंचवार्षिक योजनाएं, नई दिल्ली
6 भारतीय राजनीति विज्ञान अर्धवार्षिक शोध पत्रिका, मेरठ, जुलाई–दिसम्बर 2009,
7 भारत सरकार गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो, भारत में अपराध, 2006, 2008, 2011 नई दिल्ली
8 भारत की महिलाओं से संबंधित सांख्यिकी, राष्ट्रीय जन सहयोगेग एवं बाल विकास संस्थान, नई दिल्ली. 2010.
9 लोकमत समाचार, नागपुर संस्करण, 10 सितम्बर 2012
10 योजना मार्च 2012
11 योजना– जून 2012
12 योजना– जुलाई 2011
13 भारत : 2010
14 http://days.jagranjunction.com/12/10/2010/human rights day.
15 http://hindi.webdunia.com.
16 http://nhrc.nic.in/

Publish Research Article
International Level Multidisciplinary Research Journal
For All Subjects

Dear Sir/Mam,

We invite unpublished research paper.Summary of Research Project,Theses,Books and Books Review of publication,you will be pleased to know that our journals are

Associated and Indexed,India

- International Scientific Journal Consortium Scientific
- OPEN J-GATE

Associated and Indexed,USA

- DOAJ
- EBSCO
- Crossref DOI
- Index Copernicus
- Publication Index
- Academic Journal Database
- Contemporary Research Index
- Academic Paper Databse
- Digital Journals Database
- Current Index to Scholarly Journals
- Elite Scientific Journal Archive
- Directory Of Academic Resources
- Scholar Journal Index
- Recent Science Index
- Scientific Resources Database

Review Of Research Journal
258/34 Raviwar Peth Solapur-413005,Maharashtra
Contact-9595359435
E-Mail-ayisrj@yahoo.in/ayisrj2011@gmail.com
Website : www.isrj.net